न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./34/2024

1. बालू पुत्र जोधा जाति बैरवा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. मिश्री पुत्र जोधा जाति बैरवा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. मुस्मात उगमी पत्नी गोपाल जाति बैरवा निवासी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. मुस्मात प्रेम पुत्री गोपाल जाति बैरवा निवासी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. रमेश पुत्र गोपाल जाति बैरवा निवासी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
4. रामधन पुत्र जाति बैरवा निवासी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
5. मुस्मात सीमा पुत्री गोपाल जाति बैरवा निवासी निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
6. कालू उर्फ राधाकिशन पुत्र रायमल जाति जाट निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
7. श्री चारभुजा मन्दिर जरिये पुजारी सुभाष पुत्र कन्हैयालाल पंचौली निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
8. किशन पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
9. उगमा पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
10. मोड़ू राम पुत्र भूराराम जाति यादव निवासी देवलियांकलां तहसील भिनाय जिला केकड़ी
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री विष्णुदत्त शर्मा, श्री शम्मी मौहम्मद
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 784 में दर्ज खसरा नं. 4662 रकबा 1.06, खसरा नम्बर 4735 रकबा 0.27, खसरा नं. 4736 रकबा 0.67 और खसरा नं. 4737 रकबा 0.01 कुल किता 04 कुल रकबा 2.01 हैक्ट जो कि प्रार्थीगणों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 10 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 11 सरकार जरिये तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 10 तक की नियमानुसार तामिली होने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 10 तक के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम देवलियांकलां के खाता संख्या 784 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा देवलियांकलां पटवार क्षेत्र देवलियांकलां भू0अ0नि0 क्षेत्र देवलियांकलां के खाता सं0 784 में दर्ज खसरा नं. 4662 रकबा 1.06, खसरा नम्बर 4735 रकबा 0.27, खसरा नं. 4736 रकबा 0.67 और खसरा नं. 4737 रकबा 0.01 कुल किता 04 कुल रकबा 2.01 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार देवलियांकलां को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी)

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)